हुक्म

6/9/17 बुलाये पक्षकारान उपस्थित। P.O. साहब राजगढ़ से नहीं पधारे। पत्रावली आगामी पेशी दि. 18.10.17 को पेश हो।

18/10/17 उभय पक्ष के अभिभाषक गण उपस्थित।
सहा०कलक्टर साहब ~~भ्रमण~~/~~अवकाश~~/अन्य
कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 26.12.17
को पेश हो।

26/12/17 बुलाए पक्षकारान उपस्थित। वकील
प्रतिवादीगण ने एक प्रा० पत्र पेश
किया जिसकी नकल वकील वादी
को दिलवाई गई। वकील प्रतिवादी
ने प्रा० पत्र में कथित किया कि
उक्त वाद में वर्णित कृषि भूमि ख० नं०
1257/1547 तादादी 4.08 बीघा बाबत
[illegible] मौजा बाबत हुकुम मांगते
हुए वाद वादी ने कोर्ट के
पेश किया हुआ है जबकि उक्त खसरा
की भूमि [illegible] [illegible] कृषि
प्रयोजन के भिन्न आवासीय, कुएं, बाड़े
आदि के प्रयोग की जा रही होने से
तहसीलदार [illegible] ने इसको सिवाय
चक घोषित करने के लिए इस्तगासा
के धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधि
नियम 1955 के तहत कार्यवाही प्रस्तुत
की। जिस पर माननीय अदालत ने वाद
सुनवाई कर ख० नं० 1257/1547 तादादी 4.08
बीघा को कृषि भिन्न प्रयोजन की
होना साबित मानकर अपने निर्णय
दिनांक 5.9.2017 के द्वारा सिवाय चक
घोषित कर दिया है। जिसकी नकल

नकल हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
	अभिलेख नामान्तरकरण संख्या 2248 दिनांक 1.11.2017 को स्वीकृत होकर रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है इसलिये इस वाद का आगे विचारण का प्रश्न ही न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा इसलिये इस वाद को इसी स्तर पर निस्तारित किया जाये। अतः प्रार्थना-पत्र मय नामान्तरकरण प्रति के प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया जाता है कि प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाये। आपकी अति कृपा होगी।	
	[illegible] पक्षकारान [illegible] तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी [illegible] ने यह वाद [illegible] कृषि भूमि ख०नं० 1257/547 तादादी 4.08 बीघा [illegible] के बाबत [illegible] करते हुए वाद पेश किया हुआ है जो [illegible] अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का है। इसी कृषि भूमि का तत्कालीन तहसीलदार द्वारा कृषि से भिन्न अकृषि प्रयोजनार्थ प्रयोग किये जाने पर इस न्यायालय के धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही प्रस्तुत करने पर इस न्यायालय द्वारा [illegible] ख०नं० 1257/547 तादादी 4.08 बीघा का कृषि भिन्न प्रयोजनार्थ [illegible] होने पर [illegible] घोषित कर [illegible] न्यायालय के निर्णय [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	हुक्म की जारी
	के ख.नं. 1257/547 तादादी 5.08 बीघा का राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण संख्या 2548 दिनांक 1.11.17 को निर्णय चक दर्ज हो चुकी है। अतः प्रार्थीगण (प्रति वादीगण) के प्रा० पत्र को स्वीकार करते हुए वादी के वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं होने पर वादी के वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय हस्ते न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली निर्णय अनुसार तामील नक्ल के बाद तामील तहसील तक पत्रावली जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू) राज.	